


# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

—:कार्यालय आदेश:—

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक- एफ-4/एफ.डी./रूल्स/07 दिनांक 12.09.2008 के अन्तर्गत श्री घनश्याम दत्त सैनी, निलम्बित व्याख्याता इतिहास, राउमावि बसई जोगियान अलवर, हाल मुख्यालय कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर को किराये के मकान/स्वयं के मकान में रहने की तिथि/आवेदन तिथि से, जो कि उनके नाम के सामने अंकित की गई है, से मूल वेतन का 20 प्रतिशत मकान किराया भत्ता आहरण करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र.सं.	नाम व्याख्याता मय विषय एवं पदस्थापन स्थान	आवेदन करने की तिथि	मूल वेतन	मकान किराया भत्ता स्वीकृति तिथि
1	श्री महेश कुमार शर्मा, निलम्बित व्याख्याता वाणिज्य हाल मुख्यालय कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर	12.12.17	24510/	06.09.2016


  
(नथमल डिडेल)  
आईएस  
निदेशक माध्यमिक शिक्षा  
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक- शिविरा/मा/संस्था/सी-2/निलम्बित/मकान किराया/2017-18

दिनांक: 24.12.2017

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत :-

1. अनुभाग अधिकारी, रोकड़ अनुभाग कार्यालय हाजा।
2. संबंधित कार्मिक
3. निजी एवं रक्षित पत्रावली


  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर

# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

## —:कार्यालय आदेश:—

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक— एफ-4/एफ.डी./रूल्स/07 दिनांक 12.09.2008 के अन्तर्गत श्री घनश्याम दत्त सैनी, निलम्बित व्याख्याता इतिहास, राउमावि बसई जोगियान अलवर, हाल मुख्यालय कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर को किराये के मकान/स्वयं के मकान में रहने की तिथि/आवेदन तिथि से, जो कि उनके नाम के सामने अंकित की गई है, से मूल वेतन का 20 प्रतिशत मकान किराया भत्ता आहरण करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र सं	नाम व्याख्याता मय विषय एवं पदस्थापन स्थान	आवेदन करने की तिथि	मूल वेतन	मकान किराया भत्ता स्वीकृति तिथि
1	श्री घनश्याम दत्त सैनी, निलम्बित व्याख्याता इतिहास हाल मुख्यालय कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर	12.12.17	25780/	8.11.17



(नथमल डिडेल)

आईएस


निदेशक माध्यमिक शिक्षा  
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक— शिविरा/मा/संस्था/सी-2/निलम्बित/मकान किराया/2017-18

दिनांक: 29.12.2017

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत :-

1. अनुभाग अधिकारी, रोकड़ अनुभाग कार्यालय हाजा।
2. संबंधित कार्मिक
3. निजी एवं रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर

:: कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर ::

—: आदेश :—

वित्त विभाग के आदेश एफ 10(4) ग्रुप-2/एफडी/76/ दिनांक 13.03.84 एवं संशोधित आदेश दिनांक 18.08.89, 02.05.98, 12.09.08 एवं एफ6(6)एफडी /रूल्स/2010 दिनांक: 25.04.2012 के अंतर्गत श्री नरेन्द्र डिडेल व्या0 इतिहास, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, रोटू (नागौर) को इनके आवेदन पत्र इस कार्यालय को प्राप्त होने की तिथि 23.11.17 से उनके मूल वेतन का छः प्रतिशत जो अधिकतम रूपये 600/—(अखरे रूपये छः सौ मात्र) तक प्रतिमाह की दर से विकलांग वाहन भत्ता एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है ।

इन्हे आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त अन्य अवकाशों का उपभोग करने की अवधि का ग्रीष्मावकाश, शीतकालीन अवकाश, मध्यावधि अवकाश तथा स्थानान्तरण/पदोन्नति एवं अन्य किसी कारण कार्यग्रहण नहीं करने की अवधि का तथा निलम्बित अवधि का विकलांग भत्ता देय नहीं होगा



(नथमल डिडेल)

आईएस


निदेशक माध्यमिक शिक्षा  
राजस्थान बीकानेर

कमोंक:—शिविरा/मा/संस्था/सी-2/इतिहास/ विकलांग भत्ता/17-18

दिनांक:— 21.12.2017

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1- उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग, अजमेर
- 2- जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक-प्रथम) नागौर
- 3- प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, रोटू (नागौर) को कार्मिक का मूल विकलांग प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित है ।
- 4- श्री नरेन्द्र डिडेल व्या0 इतिहास, राउमावि, रोटू (नागौर)
- 5- निजी एवं रक्षित पत्रावली।



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर